न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 150/2022

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादी :—
1. हनुमानराम पुत्र श्री घेवरराम जाति जाट निवासी खारिया नीव तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। 2. प्रेमलता पत्नी श्री घेवरराम जाति जाट निवासी खारिया नीव तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र कुमार मेहता एवं पुनीत दवे अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक —08.09 2022

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खारिया नीव पटवार हल्का खारिया नीव भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खारिया नीव तहसील सोजत जिला पाली राज. में वर्तमान खाता नंबर 261 पुराना खाता नंबर 71 खसरा नंबर 123 419 422 423 424 440 कुल खसरा 06 कुल रकबा 8.6900 किस्म बा0अ0 वर्तमान खाता नंबर 330 पुराना खाता नंबर 297 खसरा नंबर 704 रकबा 7.2400 है0 चाही प्रथम, जाव अव्वल वर्तमान खाता नंबर 329 पुराना खाता नंबर 296 खसरा नंबर 700 रकबा 0.0400 है0 जाव अव्वल, बंजड़ वर्तमान खाता नंबर 341 पुराना खाता नंबर 307खसरा नंबर 1281/1700 रकबा 1.5200 है0 बारानी अव्वल वर्तमान खाता नंबर 46 पुराना खाता नंबर 30 खसरा नंबर 699 रकबा 0.9300 है0 चाही प्रथम, जाव अव्वल उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है, उक्त कृषि भूमि पहले वादी संख्या 01 के दादा एवं वादी संख्या 02 के ससुर स्व. चुना पुत्र पन्ना के नाम दर्ज सुदा थी। चुना का स्वर्गवास होने के पश्चात चुना के तमाम विधिक वारिसान के द्वारा उक्त भूमि में अपने संपूर्ण विरासती हक हिस्से को वादीगण के पिता/पति के पक्ष में हकतर्कनामा निष्पादित कर दिया था तत्पश्चात वादीगण के पिता/पति का भी स्वर्गवास हो जाने पर संयुक्त रूप से म्यूटेशन पटवार हल्का के द्वारा भरा गया था उक्त म्यूटेशन संख्या 986 दिनांक 20/12/2007 को स्वीकृत करते समय सहवन से वादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में हनुमानराम के स्थान पर बोराराम एवं वादी संख्या 02 का नाम प्रेमलता के स्थान पर परमी अंकित कर दिया गया हैं व जमाबदी खसरा नंबर 1281/1700 में घेवरराम का फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय प्रेमलता के स्थान पर प्रेम एव हनुमानराम के स्थान पर बोहराराम दर्ज कर दिया गया है। वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का नाम राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा वादी के सही एवं दस्तावेजी का अवलोकन किये बिना पेन ऑफ मिसटेक एवं सद्भाविक त्रुटिवश हनुमानराम के स्थान पर बोराराम एवं प्रेमलता के स्थान पर परमी व प्रेम नाम दर्ज कर दिया गया है। वादीगण अनपढ़, निरक्षर होने एवं राजस्व रेकर्ड में उक्त हुई त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी के अभाव में रेकर्ड में दुरस्ती की किसी प्रकार की कार्यवाही नही कर सकी। वादी संख्या 01 का दस्तोवजी एवं सही नाम हनुमानराम है तथा वादी संख्या 02 का नाम प्रेमलता है।

वादीगण के तमाम दस्तावेजात भी हनुमानराम एवं प्रेमलता के नाम से बने हुए है। जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में हनुमानराम एवं प्रेमलता त्रुटिवश दर्ज किया गया। इसलिये वादीगण वादरथ भूमि के राजस्व रेकर्ड में बोराराम के स्थान पर हनुमानराम एवं परमी के स्थान पर प्रेमलता से खातेदारी घोषणा करवा कर रेकर्ड दुरस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी खातेदारी घोषणा एवं रेकर्ड दुरस्ती का पेश है। बिनायदावा वादरथ कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा वादी के बिना दस्तावेजात का अवलोकन किये वक्त इन्द्राज वादी संख्या 01 हनुमानराम के स्थान पर बोराराम एवं वादी संख्या 02 प्रेमलता के स्थान पर परमी व प्रेम दर्ज कर देने से व वादीगण अनपढ़, निरक्षर होने पूर्व में जानकारी नहीं होने से व हाल ही में वादीगण द्वारा उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा वादीगण को उक्त कृषि भूमि में हनुमानराम एवं प्रेमलता दर्ज न होकर बोराराम एवं परमी व प्रेम नाम दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर वादीगण द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने से वाद कारण बमुकाम सोजत सिटी उत्पन्न हुआ जो वाद अन्दर म्याद पेश है। वादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में हनुमान के स्थान पर बोराराम एवं वादी संख्या 02 का नाम राजस्व रेकर्ड में प्रेमलता के स्थान पर परमी दर्ज हो जाने से वादीगण को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण का नाम बोराराम के स्थान पर हनुमानराम एवं परमी व प्रेम के स्थान पर प्रेमलता दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती के सम्बन्ध में वादी के द्वारा श्रीमान तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरस्ती नहीं करने से यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा खारीयानींव में स्थित होने से व वाद खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरस्ती का होने से न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का हैं। वादी ईस्तदुआ है कि डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमायी जाने की कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी, गिरदावरी में दुरस्ती कर वादीगण संख्या 01 का नाम **बोराराम** के स्थान पर **हनुमानराम एवं वादी संख्या 02 का नाम परमी व प्रेम के स्थान पर प्रेमलता** के नाम से रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जवाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने जबाब दावा दिनांक 07.07.2022 को पेश किया। जबाब दावा में वाद पत्र में वर्णित तथ्य वादीस्वय साबित करने का अंकन करते हुए शेष पैराज कानूनी होना अंकित किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2058-61, 2062-65, 2066-69, 2070-73, 2074-77, नामान्तरण संख्या 986, 987, 752 की प्रमाणित प्रतियॉ एवं वादी के आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रतियॉ, पेश किए, सामिल मिसल है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादीगण के शपथ – पत्र मुख्य परिक्षण हेतु वादीगण के तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश कर बयान पी0डब्ल्यू 01, व पीडब्ल्यू 02, पीडब्ल्यू 03, पीडब्ल्यू 04 कलबद्ध करयाये गये। वादी हनुमानराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज

करवाये गये जिनमें ग्राम खारीयानींव की जमाबन्दी सम्वत 2062 से 69 प्रदर्श–1, नामान्तरकरण संख्या 987 प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श –3, जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श –4, जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श –6, जमाबन्दी सम्वत 2070 से 73 प्रदर्श 7, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श–8, जमान्बदी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श –9, जमाबन्दी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श –10 , जमाबन्दी सम्वत 2062 से 62 प्रदर्श 11, म्यूटेशन संख्या 986 प्रदर्श 12, जमाबन्दी सम्वत् 2066–69 प्रदर्श –13, जमाबन्दी सम्वत 2070 से 73 प्रदर्श –14, जमाबदी सम्वत 2074 से 77 प्रदर्श 15, जमाबन्दी सम्वत 2058 से 61 प्रदर्श 16, नामान्तरकरण संख्या 752 प्रदर्श 17, जमाबन्दी सम्वत 2066 से 69 प्रदर्श 19, जमाबन्दी सम्वत 2070 से 73 प्रदर्श 20 जमाबन्दी संवत 2074 से 77 प्रदर्श –21, ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति प्रदर्श 22ए, वोटर आईडी कार्ड की प्रति प्रदर्श 23ए, आधारकार्ड की प्रति 24ए, पेनकार्ड की प्रति 25ए रेकर्ड पर लिए गयै , सा0मि0 है। पी0 डब्ल्यु –2, प्रेमलता पी0डब्ल्यू–3 शंकरलाल, पीडब्ल्यू–4 खीवाराम के तस्दीक सुदा शपथ पत्रों पर बयान कलमबद्ध करवाये जाकर सा0मि0 है। अन्य शहादत पेश नही करना चाहने से शहादत वादी बन्द की गई। जिरह प्रतिवादी शून्य रही । शहादत प्रतिवादी पेश नही करना चाहने से शहादत प्रतिवादी आज बन्द की जाती है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि मौजा सरहद मौजा ग्राम खारिया नीव पटवार हल्का खारिया नीव भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खारिया नीव तहसील सोजत जिला पाली राज. में वर्तमान खाता नंबर 261 पुराना खाता नंबर 71 खसरा नंबर 123 419 422 423 424 440 कुल खसरा 06 कुल रकबा 8.6900 किस्म बा0अ0 वर्तमान खाता नंबर 330 पुराना खाता नंबर 297 खसरा नंबर 704 रकबा 7.2400 है0 चाही प्रथम, जाव अव्वल वर्तमान खाता नंबर 329 पुराना खाता नंबर 296 खसरा नंबर 700 रकबा 0.0400 है0 जाव अव्वल, बंजड़ वर्तमान खाता नंबर 341 पुराना खाता नंबर 307खसरा नंबर 1281/1700 रकबा 1.5200 है0 बारानी अव्वल वर्तमान खाता नंबर 46 पुराना खाता नंबर 30 खसरा नंबर 699 रकबा 0.9300 है0 चाही प्रथम, जाव अव्वल की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण संख्या 01 का नाम **हनुमानराम** के स्थान पर **बोराराम एवं वादी संख्या 02 का नाम प्रेमलता के स्थान पर परमी व प्रेम** की त्रुटि होना बखूबी साबित है। लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार किये जाने तथा उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण संख्या 01 का नाम **बोराराम** के **स्थान पर हनुमानराम एवं वादी संख्या 02 का नाम परमी व प्रेम के स्थान पर प्रेमलता** दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तोवजी साक्ष्य सबुत में वादिया का नाम उक्त राजस्व रेकर्ड में परमी, प्रेम अंकित है एवं इसी प्रकार वादी हनुमान राम का नाम राजस्व रेकर्ड के अतिरिक्त अन्य समस्त दस्तावेज यथा आधारकार्ड, परिवारकार्ड, पैनकार्ड में हनुमानराम अंकित है। लिहाजा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा मौजा सरहद मौजा ग्राम खारिया नीव पटवार हल्का खारिया नीव भूअभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खारिया नीव तहसील सोजत जिला पाली राज. में वर्तमान खाता नंबर 261 पुराना खाता नंबर 71 खसरा नंबर 123 419

422 423 424 440 कुल खसरा 06 कुल रकबा 8.6900 किस्म बा0अ0 वर्तमान खाता नंबर 330 पुराना खाता नंबर 297 खसरा नंबर 704 रकबा 7.2400 है0 चाही प्रथम, जाव अव्वल वर्तमान खाता नंबर 329 पुराना खाता नंबर 296 खसरा नंबर 700 रकबा 0.0400 है0 जाव अव्वल, बंजड़ वर्तमान खाता नंबर 341 पुराना खाता नंबर 307खसरा नंबर 1281/1700 रकबा 1.5200 है0 बारानी अव्वल वर्तमान खाता नंबर 46 पुराना खाता नंबर 30 खसरा नंबर 699 रकबा 0.9300 है0 चाही प्रथम, जाव अव्वल की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड वादीगण संख्या 01 का नाम **बोराराम** के स्थान पर **हनुमानराम एवं वादी संख्या 02 का नाम परमी व प्रेम के स्थान पर प्रेमलता** दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम खारिया नीव पटवार हल्का खारिया नीव भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खारिया नीव तहसील सोजत जिला पाली राज. में वर्तमान खाता नंबर 261 पुराना खाता नंबर 71 खसरा नंबर 123 419 422 423 424 440 कुल खसरा 06 कुल रकबा 8.6900 किस्म बा0अ0 वर्तमान खाता नंबर 330 पुराना खाता नंबर 297 खसरा नंबर 704 रकबा 7.2400 है0 चाही प्रथम, जाव अव्वल वर्तमान खाता नंबर 329 पुराना खाता नंबर 296 खसरा नंबर 700 रकबा 0.0400 है0 जाव अव्वल, बंजड़ वर्तमान खाता नंबर 341 पुराना खाता नंबर 307खसरा नंबर 1281/1700 रकबा 1.5200 है0 बारानी अव्वल वर्तमान खाता नंबर 46 पुराना खाता नंबर 30 खसरा नंबर 699 रकबा 0.9300 है0 चाही प्रथम, जाव अव्वल की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड वादीगण संख्या 01 का नाम **बोराराम** के स्थान पर **हनुमानराम एवं वादी संख्या 02 का नाम परमी व प्रेम के स्थान पर प्रेमलता** दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत